

शिवजी राम बनाम ओम लक्ष्मी बच्चन

केस. 133/19

धारा- 53, 188

दिनांक आवाज कार्यवाही	आवाज विस्तृत रूप से बताएं	दिनांक आवाज कार्यवाही
20/9/21	<p>पत्रावली पेश हुई। <u>P.O. सा. वीरे/अन्य</u> कार्यालय में वास्तु रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>2/11/21</u> को पेश हो।</p>	
2/11/21	<p>पत्रावली पेश हुई। <u>P.O. सा. वीरे/अन्य</u> कार्यालय में वास्तु रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>3/12/21</u> को पेश हो।</p>	
3/12/21	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. वीरे/अन्य कार्यालय में वास्तु रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>7/2/22</u> को पेश हो।</p>	
7/2/22	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. वीरे/अन्य कार्यालय में वास्तु रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>14/2/22</u> को पेश हो।</p>	
14/3/22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं वकील वादी अड्डे उपस्थित। बार-बार आवाज लगावें गईं। कोर्ट उपस्थित नहीं आया। वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी एवं वकील के द्वारा पुर्व प्रेक्षित पर भी न्यायालय हाजा के आदेशों के पालना नहीं की जा रही है और नही आदिनांक प्रतिवादीगण को शामिल हेतु रजिस्ट्रार तलवाजा पेश किया गया है। अन्तिम आवाज न्यायालय हाजा के समग्र 4:45 PM पर लगावें गईं कोर्ट उपस्थित नहीं आया इससे यह पुष्ट होता है कि वादी एवं वकील अव्यवस्था वाद पत्र को अभी चलीने/अप्रसर करने हेतु कतार में रुक नहीं है। (लिहाजा वादी का वाद अदम्य पैवरी अदम्य हाजरी में शहर में किया जाता है। पत्रावली के सलाहनाम लेकर दर्ज नम्बर से कम होने पर दर्जित करता है।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)